385
18

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय मुख्य सतर्कता अधिकारी
आरेडिका रायबरेली।

सं.- G/MCF/RBL/Vig./System Improvement

दिनांक: 23.03.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
आरेडिका/रायबरेली।

विषय: निरीक्षण के दौरान पाई गई सिस्टम में कमियों के संबंध में प्रणाली सुधार।
संदर्भ: व.स.अधि./आरेडिका का निरीक्षण नोट सं.-G/MCF/RBL/Vig./Inspection दिनांक-15.03.2021

दिनांक 11.03.2021 को, वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/आरेडिका द्वारा, लेखा विभाग/आरेडिका के बिल अनुभाग का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बिल प्रोसेसिंग में कुछ कमियाँ देखीं गई जो संलग्न निरीक्षण नोट के पैरा 13, 15 और 21 पर इंगित किया गया है।

पी.एफ.ए. महोदय से आग्रह है कि उक्त कमियों के संबंध में आवश्यक प्रणाली सुधार कराने की व्यवस्था करें ।

23.03.2021
(संजय तिवारी)
व.स.अधि./आरेडिका
कृते महाप्रबन्धक(सतर्कता)

संलग्नक: संदर्भित निरीक्षण नोट की छाया प्रति।

O/C
Letter sent to PFA
on 23/03/2021

निरीक्षण नोट का संबंधित पैरा

13. उपरोक्त प्रक्रिया के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यदि किसी टेंडर/कोटेशन के बिल, जो पूर्व में भुगतान हो चुके हो, को कार्यकारी विभाग द्वारा दुबारा लेखा विभाग को कुछ माह के अंतर में भेजा जाता है तो इसे न तो सिस्टम ही चेक करने में सक्षम है और न ही लेखा विभाग के पास इसे रोकने के लिए कोई सिस्टम चेक है। अतः इसे रोकने हेतु जरूरी उपाय किए जाने कि आवश्यकता है।

15. प्रत्येक दिन लेखा विभाग का नामित कर्मचारी बिल को बॉक्स से निकालता है और उसे क्रमवार करके डीलर को सौपता है। यहाँ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बिल बॉक्स को खोलते समय कम से कम दो अलग अलग स्तर के कर्मचारी/अधिकारी नामित हो जो प्राप्त बिलों की संख्या एवं उनका क्रम सुनिश्चित कर रिकार्ड करें। जानकारी मिली है कि इस प्रकार का सिस्टम कुछ महीनों पहले तक चल रहा था। अतः इस सिस्टम को सुधार कर पुनः प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

21. यदि फर्म द्वारा GST नहीं जमा किया गया है तो लेखा विभाग उस बिल को कभी पास करता है और कभी नहीं भी पास करता है। यहाँ लेखा विभाग अपने विवेक का इस्तेमाल करता है जो पारदर्शिता की दृष्टि से ठीक नहीं है। अतः यहाँ एक समान नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।